भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2937
13.08.2026 को उत्तर के लिए

ओडिशा में पर्यावरणीय अनुपालन की निगरानी

2937. डा. सस्मित पात्रा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान ओडिशा में कितनी परियोजनाओं को पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है;
(ख) कितने अनुपालन निरीक्षण किए गए और कितने उल्लंघन पाए गए;
(ग) पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों का अनुपालन नहीं किए जाने हेतु क्या कार्रवाई की गई है; और
(घ) क्या मंत्रालय राज्य में स्वतंत्र पर्यावरणीय अनुपालन निगरानी को सुदृढ़ करने का विचार रखता है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ) : वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा ओडिशा राज्य से संबंधित कुल 1703 परियोजनाओं को पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की गई। पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, परियोजना प्रस्तावकों के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण के समक्ष निर्धारित पर्यावरणीय मंजूरी शर्तों पर अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसके अलावा, इन अनुपालन रिपोर्टों को डिजिटल रूप दिया गया है, और सभी परियोजना प्रस्तावकों को ऐसी सभी अनुपालन रिपोर्टें 'परिवेश' पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करनी होंगी।

यह मंत्रालय, अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से, पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त परियोजनाओं के पर्यावरण मंजूरी के बाद की निगरानी और अनुपालन सत्यापन का कार्य करता है। पर्यावरण संबंधी गैर-अनुपालन के मामलों का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5, 15 और 19 के उपबंधों के अनुसार किया जाता है। इन उपबंधों का कार्यान्वयन परियोजनाओं की पर्यावरण मंजूरी के बाद निगरानी और अनुपालन के लिए दिनांक 25.11.2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा स्थापित मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) द्वारा निर्देशित होता है, जिसके अंतर्गत गैर-अनुपालन के संबंध में कार्रवाई करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, एसओपी

के अनुसार, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय से गैर-अनुपालन को इंगित करने वाली निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, परियोजना प्रस्तावक से निरीक्षण रिपोर्ट में संसूचित गैर-अनुपालनों के संबंध में की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मांगी जाती है। यदि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संतोषजनक सुधारात्मक उपाय नहीं किए जाते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाती है, जिसमें कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी करना, व्यक्तिगत सुनवाई, अनुपालन का पुनः सत्यापन और अंतिम कार्रवाई शामिल हैं।

इस अवधि के दौरान, मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ओडिशा राज्य में स्थित श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' की परियोजनाओं/कार्यकलापों के कुल 303 निरीक्षण किए गए। इन निरीक्षणों के निष्कर्षों के आधार पर, गैर-अनुपालन के सभी मामलों में आवश्यक कार्रवाई शुरू की गई है। इसके अलावा, 37 मामलों में कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी किए गए हैं। इसके साथ ही, ओडिशा का राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निरीक्षण करता है और पर्यावरण मंजूरी (ईसी)/संचालन की अनुमति (सीटीओ) के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई करता है। इसके अलावा, पर्यावरण अनुपालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से, मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ 'पर्यावरण लेखापरीक्षा नियम, 2025' अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के तहत, विभिन्न पर्यावरणीय विनियमों और नियमों के अंतर्गत पर्यावरणीय अनुपालन निर्धारित करने के लिए तत्स्थलीय सत्यापन/लेखापरीक्षा कार्य करने हेतु प्रमाणित तृतीय-पक्ष पर्यावरणीय लेखा परीक्षकों के एक संवर्ग के गठन का प्रावधान किया गया है।
